सं0-894/xxviii(3)2004-181/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक : 30 मार्च, 2005

विषय: जनपद चम्पावत तथा ऊधमसिंह नगर में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0- 79/1/एस0ए0डी0/20/31/2004/25361 दिनांक 11.10.04 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004-05 में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय स्वाला, रेगड़ू (जनपद चम्पावत) तथा तिलियापुर जनपद ऊधमसिंह नगर के भवन निर्माण हेतु संलग्नकानुसार कुल रू0 96,08,000.00 (रू0 छियानवे लाख आठ हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में कुल रू0 79,03,000.00 (रू0 उन्यासी लाख तीन हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते हैं ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग की स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करायें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जावे। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3- धनराशि तत्काल आहरित की जावेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई उत्तरांचल पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्पावत तथा क्षेत्रीय प्रबंधक उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में

बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा।

5- आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जावेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8- एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जावे।

11- आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जावेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15- उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16- धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाए।

17- उक्त व्यय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 91- जिला योजना- 04-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण (विस्तार अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे रू0 5,25,000.00 डाला जावेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोजन प्रपत्र बी0एम0-15 के अनुसार लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-00-आयोजनागत-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय, 97-बाह्य सहायतित परियोजनाएं, 02-हैल्थ सिस्टम परियोजना-24 वृहत निमार्ण कार्य की बचत से रू0 73,78,000.00 से वहन किया जायेगा।

18- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-898/वित्त अनुभाग-2/2004 दिनांक 30.03.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0-894/xxviii(3)2004-181/2004 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, मालरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर /चम्पावत।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधमसिंह नगर /चम्पावत ।
6- उत्तरांचल पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्पावत
7- क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तरांचल।
8- निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0-894/xxviii(3)2004-181/2004 दिनांक 3/3/5 का संलग्नक

(रू0 लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमोदित लागत	निर्माण इकाई का नाम	वर्ष 2004-05 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय स्वाला जनपद चम्पावत का भवन निर्माण	31.84	पेय जल निगम	31.84
2	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय रेगड़ू जनपद चम्पावत का भवन निर्माण	34.94	पेय जल निगम	34.94
3	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय तिलियापुर जनपद ऊधमसिंह नगर का भवन निर्माण	29.30	समाज कल्याण निर्माण निगम	12.25
	योग	96.08		79.03

(रू0 उन्यासी लाख तीन हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0 894/xxviii(3)2004-181/2004 दिनांक 24|3|2 का संलग्नक। (वित्तीय वर्ष 2004-05)

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून (रु0 हजार में)

अनुदान सं0 - 12

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद कुल धनराशि	पुर्न विनियोजन के बाद कालम 1 की अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-00-आयोजनागत-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110-अस्पताल तथा औषधालय, 97-बाह्य सहायतित परियोजनाएं, 02-हैल्थ सिस्टम परियोजना-24 वृहत निमार्ण कार्य				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 91-जिला योजना-04-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण (विस्तार अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य			क. हैल्थ सिस्टम परियोजना के आवश्यकता से अधिक प्राविधान होने के कारण की बचत है। ख. रा0ए0चिकित्सालयों के भव[न] निर्माण (विस्तार अंश) यो[जना में] कम बजट प्राविधान हो[ने के] कारण धनराशि की आव[श्यकता] है।
235302	100000	-	135302	7378	18834	227924	
योग 235302	100000	-	135302	7378	18834	227924	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग मे बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 मे उल्लिखत प्रतिबन्धें एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

150

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग - 2
संख्या 898 (A) वित्त अनु0-2/2005
देहरादून : दिनांक 30.03.2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

(एल0एम0 पंत)
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।

सं0-894/xxviii(3)2004-181/2004 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव